<u>न्यायालय सं0–9</u>

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थितः **माननीय श्री योगेश्वर राम मिश्र, सदस्य (प्रशा0)**
माननीय श्री रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य

निर्देश याचिका सं0–911/2024

योगेन्द्र प्रसाद सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, पुत्र स्व0 आर0ए0सिंह, निवासी–35/6-5, रामपुर गार्डन, निकट अशोक किरन अस्पताल, बरेली।

---याची

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर सचिव,
कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0, सिविल सचिवालय, लखनऊ।

2– आयुक्त, वाणिज्य कर,
उ0प्र0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

---विपक्षीगण

याची की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजय शंकर तिवारी
विपक्षीगण की तरफ से विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

<u>निर्णय</u>

द्वाराः माननीय श्री योगेश्वर राम मिश्र, सदस्य (प्रशा0)

याची द्वारा यह याचिका राज्य लोक सेवा अधिकरण, अधिनियम 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत निम्न अनुतोष हेतु योजित की गयी हैः–

> (a) to quash the impugned order dated 03.04.2024 with all consequential benefits such as the promotion on the post of Deputy Commissioner Commercial Tax from the date the persons junior has been promoted on the basis of the DPC held on 30.06.2020 which has been denied on the basis of the impugned order dated 03.04.2024 alongwith other beneits which has been withheld on the basis of pending enquiry and punishment order.
> (b) Any other relief, which this Hon'ble Tribunal deems fit and proper in the circumstanes of the case may kindly be granted in favour of the petitioner, with the costs of this petition in favour of the petitioner.

2– संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं आलोच्य आदेश दिनाँकित 03-04-2024 पारित करने के पूर्व याची को इसी प्रकरण में आदेश दिनाँकित 18-09-2017 द्वारा परिनिन्दित करते हुए उससे राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति रू0 2,93,125-00 की वसूली निर्धारित शासकीय दर के अनुसार ब्याज सहित उसके वेतन देयकों से किये जाने का दण्ड प्रदान किया गया था। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध याची द्वारा

राज्य लोक सेवा अधिकरण के समक्ष निर्देश याचिका सं0 1731/2017 योगेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य योजित की गयी जिसे अधिकरण व्दारा निर्णय/आदेश दिनाँकित 27-03-2018 व्दारा स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित कियका गयाः-

> *"Petition is allowed. The impugned order 18.09.2017 is hereby quashed. However, considering the nature of charges, the respondents shall be free to initiate a fresh enquiry against the petitioner from the stage of serving a fresh charge sheet without reference to the decision taken by the Principal Secretary, who incidentally identify the culpability of the petitioner, if any, and quantify his contribution to the matter of leakage of revenues applying his own discretion and judgement. Grant of consequential benefits may depend on the final outcome of the enquiry. If however, the respondents, decide to not initiate any fresh proceeding, petitioner shall be entitled to all consequential benefits including refund of recovery made uptil now, within three months of the receipt of a certified copy of this order."*

अधिकरण व्दारा पारित उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध याची व्दारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं0 10749/2018 योगेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी जिसे माननीय उच्च न्यायालय व्दारा निर्णय/आदेश दिनाँकित 23-01-2019 व्दारा निरस्त कर दिया गया। तदोपरान्त याची का कथन है अपर आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ व्दारा उसे दिनाँक 29-08-2019 को एक आरोप पत्र (संलग्नक सं0-6) निर्गत किया गया जिसमें याची पर एक आरोप इस आशय का लगाया गया कि *"जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी व उत्तराखण्ड राज्य के करबा किच्छा के मध्य स्थित व्यापार कर सहायता केन्द्र आमआण्डा के अभिलेखों तथा उसके समीप स्थित वन विभाग की चौकी के अभिलेखों की जाँच जिलाधिकारी बरेली व्दारा एक टीम गठित करके करवायी गयी। टीम व्दारा व्यापार कर सहायता केन्द्र आमटाण्डा एवं वन विभाग की जाँच चौकी आमटाण्डा के अभिलेखों की जाँच की गयी जिसमें पाया गया कि अगस्त 2007 में रोड़ी, गिट्टी, रेता के 1888 वाहन वन विभाग के अभिलेखों में दर्ज है किन्तु व्यापार कर विभाग के अभिलेखों में दर्ज नहीं है। जाँच टीम व्दारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि अगस्त 2007 में रोड़ी, गिट्टी, रेता के 1888 वाहन व्यापार कर विभाग के संबंधित पंजियों में बिना दर्ज हुए और बिना जाँच किये हुए तथा बिना गेट पास जारी कराये हुए व्यापार कर सहायता केन्द्र आमटाण्डा से गुजरे। इस प्रकार ऐसे वाहन जो व्यापार कर सहायता केन्द्र के अभिलेखों में दर्ज नहीं है, उनसे प्राप्त होने वाला व्यापार कर प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं हुआ और राजस्व क्षति हुई। तदनुक्रम में माह मई, जून, जुलाई व अगस्त 2007 में रोड़ी, गिट्टी, रेता के कुल 8958 वाहन ऐसे पाये गये जिनका इन्द्राज वन विभाग की जाँच चौकी में तो था किन्तु व्यापार कर सहायता*

केन्द्र के अभिलेखों में नहीं था। मई, 2007 से अगस्त 2007 की अवधि में सहायता केन्द्र आमटाण्डा में आप द्वारा शिफ्ट सी में 41 कार्यदिवसों में कार्य किया गया था जो असिस्टेण्ट कमिश्नर (प्रभारी) वाणिज्य कर जाँच चौकी आमटांडा बहेड़ी बरेली के पत्र संख्या–473 दिनाँक 10-06-2009 से स्पष्ट है। शिफ्ट सी से संबंधित 41 कार्य दिवसों में कुल 2826 वाहन (रोड़ी, गिट्टी, रेत आदि के) ऐसे पाये गये जिनकी प्रविष्टि वन जाँच चौकी पर तो है किन्तु व्यापार कर सहायता केन्द्र आमटांडा पर नहीं है। उक्त से स्पष्ट है कि सहायता केन्द्र आमटांडा में आपकी कार्य अवधि के दौरान 2826 वाहनों में लदे रोड़ी, गिट्टी, रेत आदि से प्राप्त होने वाला राजस्व वाणिज्य कर विभाग को प्राप्त नहीं हुआ। परिपत्र संख्या–770 दिनाँक 07-07-2005 के अनुसार 2826 वाहनों से परिविहित किये जाने वाले माल के संबंध में समाधान राशि का आगणन संबंधित वाहनों की सूची में सम्मुख अंकित है जिसके अनुसार आपकी कार्यावधि 41 दिनों में 2826 वाहनों से कुल राजस्व रू0 3102682-00 सरकार को प्राप्त नहीं हुआ। आप द्वारा अपनी ड्यूटी के दौरान उक्त प्रकार से हुए करापवंचन को रोकने हेतु समुचित कार्यवाही नहीं की गयी और अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरती गयी। इस प्रकार आप व्यापार कर अधिकारी के पद के दायित्वों का निर्वहन न करने एवं कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम–3 का उल्लंघन करने के दोषी हैं।" याची द्वारा आरोप पत्र का विस्तृत उत्तर दिनाँक 18-09-2019 (संलग्नक सं0-7) को जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उसके द्वारा समस्त आरोपों का खण्डन करते हुए वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया गया। तदोपरान्त याची के अनुसार आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त करने के उपरान्त जाँच अधिकारी द्वारा उसे व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया परन्तु जब वह जाँच अधिकारी के कार्यालय पहुँचा तब न तो कोई जाँच नहीं की गयी। याची का कथन है कि जाँच अधिकारी द्वारा बिना नियमानुसार जाँच किये और उसके उत्तर पर बिना विचार किये तथा जाँच आख्या दिनाँकित 16-06-2020 दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी जिसमें जाँच अधिकारी द्वारा याची को विभागीय नियमों, निर्देशों तथा आचरण नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप कार्य न करने एवं अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने के लिए दोषी पाया गया। तत्पश्चात् दण्डाधिकारी द्वारा याची को कारण बताओ नोटिस दिनाँकित 01-07-2020(संलग्नक सं0-10) जाँच आख्या की प्रति सहित निर्गत की गयी जिसका विस्तृत स्पष्टीकरण (संलग्नक सं0-11) याची द्वारा दिनाँक 02-09-2020 को प्रस्तुत किया गया परन्तु याची के अनुसार दण्डाधिकारी द्वारा उसके स्पष्टीकरण पर बिना विचारण किये उसके विरूद्ध आलोच्य दण्डादेश दिनाँकित

03-04-2024 पारित कर दिया गया जिसे अपास्त किये जाने हेतु यह याचिका योजित की गयी है।

3- विपक्षीगण द्वारा लिखित विवेचन दाखिल किया गया जिसमें यह कहा गया कि याची, तत्कालीन वाणिज्य कर अधिकारी सहायता केन्द्र आमटाण्डा, बहेड़ी, बरेली, सम्प्रति असिस्टेन्ट कमिश्नर, (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर, मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त पद पर तैनाती की अवधि में सहायता केन्द्र आमटाण्डा, बरेली से गुजरने वाले सभी वाहनों की प्रविष्टियाँ सहायता केन्द्र से संबंधित पंजियों में नहीं की गयी और कुछ वाहनों को तत्समय सहायता केन्द्र पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बिना जाँच किये हुए ही एवं बिना गेट पास जारी किये हुए जाने दिया गया। जिलाधिकारी, बरेली द्वारा एक टीम गठित कर सहायता केन्द्र आमटाण्डा और उसके समीप स्थित बन विभाग की चौकी की जाँच करायी गयी। टीम द्वारा बड़ी संख्या में ऐसे वाहन पाये गये जो वन विभाग के अभिलेखों में तो दर्ज हैं, किन्तु व्यापार कर विभाग के अभिलेखों में दर्ज नहीं है, जिसके फलस्वरूप ऐसे वाहनों से प्राप्त होने वाला कुल राजस्व रू0 1,00,18,537/- प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं हुआ। उक्त राजस्व क्षति को रोकने में याची द्वारा कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभायी गयी। याची द्वारा बरती गयी उक्त अनियमितताओं के फलस्वरूप सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धान्त के आधार पर याची पर रू0 2,93,125/- की राजस्व क्षति निर्धारित की गयी। उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 03-02-2015 द्वारा याची के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी जिसे नियमानुसार पूर्ण करने के उपरान्त याची को दण्डाधिकारी द्वारा आदेश दिनाँकित 18-09-2017 द्वारा परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की गयी तथा राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति के लिये रू0 2,93,125-00 की वसूली निर्धारित शासकीय दर के अनुसार ब्याज सहित उकने वेतन देयकों से किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। याची द्वारा उक्त दण्डादेश दिनाँकित 18-09-2017 के विरूद्ध राज्य लोक सेवा अधिकरण में निर्देश याचिका सं0 1731/017 योगेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य योजित की गयी जिसे अधिकरण द्वारा निर्णय/आदेश दिनाँकित 27-03-2018 द्वारा स्वीकार करते हुए याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनाँकित 18-09-2017 को निरस्त कर दिया गया तथा सक्षम प्राधिकारी को यह छूट भी प्रदान की गयी कि वह नया आरोप पत्र निर्गत कर पुनः जाँच कर सकते हैं। याची द्वारा अधिकरण के उक्त निर्णय दिनाँकित 27-03-2018 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0 10749/2018

योगेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय/आदेश दिनॉंकित 23-01-2019 द्वारा निरस्त कर दिया गया। तदोपरान्त अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनॉंकित 27-03-2018 के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप दिनॉकित 30-08-2018 व संशोधित कार्यालय ज्ञात दिनॉंकित 13-02-2019 द्वारा याची के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी तथा अपर आयुक्त (प्रशासन) वाणिज्य कर उ0प्र0, लखनऊ को जॉंच अधिकारी नियुक्त किया गया। जॉंच अधिकारी द्वारा याची को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए जॉंच कार्यवाही पूर्ण कर जॉंच आख्या दिनॉंकित 16-06-2020 शासन को प्रेषित की गयी, जिसमें याची पर लगाया गया आरोप पूर्ण रूप से सिद्ध पाया गया। याची को जॉंच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराते हुए शासन के पत्र दिनॉंकित 01-07-2020 द्वारा अभ्यावेदन नोटिस निर्गत की गयी। याची द्वारा पत्र दिनॉंकित 02-09-2020 द्वारा अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् दण्डाधिकारी द्वारा याची के स्पष्टीकरण एवं जॉंच आख्या में वर्णित सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त उसके विरूद्ध आलोच्य दण्डादेश दिनॉंकित 03-04-2024 पारित कर दिया गया जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुकूल है, जिसके पारित किये जाने में किसी नियम एवं कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि है। अतः याची विवादित आदेश के विरूद्ध कोई अनुतोष पाने का विधिक अधिकारी नहीं है। याची ने प्रश्नगत याचिका आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4- याची द्वारा प्रत्योत्तर शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें उसके द्वारा विपक्षीगण द्वारा दाखिल लिखित विवेचन के कथनों का विरोध तथा याचिका के कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5- हमारे द्वारा याची के विद्वान् अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6- याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दण्डादेश को निरस्त किये जाने हेतु हमारे समक्ष प्रथम तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि जॉंच अधिकारी द्वारा जॉंच आख्या में यह कथन किया गया है कि मई 2007 से अगस्त, 2007 तक की अवधि में सहायता केन्द्र, आमटॉडा में श्री सिंह द्वारा शिफ्ट-सी में 41 कार्य दिवसों में कार्य किया गया है तथा प्रस्तावित साक्ष्य संख्या-3 व 4 से स्पष्ट है कि शिफ्ट-सी से संबंधित 41 कार्य दिवसों में 2826 वाहन गुजरे जिनकी प्रविष्टि सहायता केन्द्र पर नहीं गयी जिससे रू0

31,02,682–00 की राजस्व क्षति हुई। परन्तु आरोप पत्र में प्रस्तावित साक्ष्य सं0–3 जो मई 2007 से अगस्त 2007 तक की अवधि में आमटांडा चेक पोस्ट की शिफ्ट सी से संबंधित 41 कार्यदिवसों में गुजरे 2826 वाहनों की सूची तथा साक्ष्य सं0–4 जो 2826 वाहनों से हुई राजस्व क्षति के आंकलन का विवरण (समरी) है, को तैयार करने वाले कर्मी से याची को न तो प्रतिपरीक्षण का मौका ही दिया गया और न ही साक्ष्य सं0–3 व 4 के रूप में उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्य के तथ्यों को सिद्ध करने की कार्यवाही की गयी जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***Roop Singh Negi v. Punjab National Bank and others (2009)2 SCC 570*** में दी गयी विधि व्यवस्था के विपरीत है।

7– याची के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क पर हमारे द्वारा विचार किया गया तथा प्रकरण में अपर आयुक्त (प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दी गयी जॉंच आख्या दिनॉंकित 16–06–2020 जो पत्रावली पर उपलब्ध है, का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि जॉंच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र में प्रस्तावित साक्ष्य सं0–3 व 4 के आधार पर यह निष्कर्ष दिया गया कि श्री सिंह के 41 कार्य दिवसों में पास हुए 2826 वाहनों से कुल राजस्व 31,02,682–00 क्षति हुई। अतः श्री सिंह द्वारा विभागीय नियमों, निर्देशों तथा आचरण नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप कार्य न करने एवं अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा तथा कर्तव्य परायणता से निर्वहन न करने के लिये दोषी हैं। परन्तु जॉंच अधिकारी द्वारा दी गयी जॉंच आख्या के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि जॉंच के दौरान न तो आरोप पत्र में प्रस्तावित साक्ष्य सं0–3 व 4 के रूप में उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्य के तथ्यों को सिद्ध करने की कार्यवाही की गयी और न ही याची को उक्त दस्तावेजों को तैयार करने वाले कर्मी से परीक्षण/प्रतिपरीक्षण का अवसर ही प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से जॉंच अधिकारी द्वारा दी गयी जॉंच आख्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***Roop Singh Negi v. Punjab National Bank and others (2009)2 SCC 570*** में दी गयी निम्न विधि व्यवस्था के विपरीत है।

> ***"that the materials brought on record pointing out the guilt are required to be proved. A decision must be arrived at on some evidence, which is legally admissible. Mere production of documentary evidence is not enough. Contents of documentary evidence have to be proved by examining the witnesses."***

8– याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आलोच्य दण्डादेश को निरस्त किये जाने हेतु हमारे समक्ष यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में जॉंच अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 958/2010 प्रेम नाथ बाली बनाम निबन्धक, उच्च न्यायालय दिल्ली व अन्य में दी गयी विधि व्यवस्था में निर्धारित समय सीमा के

उपरान्त जाँच आख्या दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त जाँच आख्या के आधार पर पारित दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है।

9- हमारे द्वारा याची के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क पर विचार किया गया तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 958/2010 प्रेम नाथ बाली बनाम निबन्धक, उच्च न्यायालय दिल्ली व अन्य में दिये गये निर्णय का अवलोकन किया गया जिसका प्रस्तर-33 महत्वपूर्ण है जो निम्नवत् हैः-

> ***33. Keeping these factors in mind, we are of the considered opinion that every employer (whether State or private) must make sincere endeavor to conclude the departmental inquiry proceedings once initiated against the delinquent employee within a reasonable time by giving priority to such proceedings and as far as posible it should be concluded within six months as an outer limit. Where it is not possible for the employer to conclude due to certain unavoidable causes arising in the proceedings within the time frame then efforts should be made to conclude within reasonably extended priod depending upon the cause and the nature of inquiry but not more than a year."***

10- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में वर्तमान प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह स्वीकृत तथ्य है कि इसी प्रकरण में पूर्व में याची के विरूद्ध दण्डादेश दिनाँकित 18-09-2017 पारित किया गया था जिसके विरूद्ध याची द्वारा इस अधिकरण के समक्ष निर्देश याचिका सं0 1731/017 योगेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य योजित की गयी जिसे अधिकरण द्वारा निर्णय/आदेश दिनाँकित 27-03-2018 द्वारा स्वीकार करते हुए याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनाँकित 18-09-2017 को निरस्त कर दिया गया तथा सक्षम प्राधिकारी को यह छूट भी प्रदान की गयी कि वह नया आरोप पत्र निर्गत कर पुनः जाँच कर सकते हैं। याची द्वारा अधिकरण के उक्त निर्णय दिनाँकित 27-03-2018 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0 10749/2018 योगेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय/आदेश दिनाँकित 23-01-2019 द्वारा निरस्त कर दिया गया। तदोपरान्त अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनाँकित 27-03-2018 के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप दिनाँकित 13-02-2019 द्वारा याची के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी तथा अपर आयुक्त (प्रशासन) वाणिज्य कर उ0प्र0, लखनऊ को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। तदोपरान्त जाँच अधिकारी द्वारा जाँच कार्यवाही पूर्ण कर जाँच आख्या दिनाँक 16-06-2020 को शासन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रकरण में याची के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित होने के दिनाँक 13-02-2019 के

एक वर्ष उपरान्त जाँच अधिकारी व्दारा दिनाँक 16-06-2020 को जाँच आख्या दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय व्दारा सिविल अपील नं0 958/2010 प्रेम नाथ बाली बनाम निबन्धक, उच्च न्यायालय दिल्ली व अन्य में दी गयी विधि व्यवस्था के विपरीत है और उक्त जाँच आख्या के आधार पर पारित दण्डादेश हमारे विचार से निरस्त किये जाने योग्य है।

11- उपरोक्त के अतिरिक्त इसी प्रकरण में पूर्व में आदेश दिनाँकित 18-09-2017 पारित किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि "श्री सिंह व्दारा कारित उक्त अनियमितता एवं उक्त कृत्य के फलस्वरूप रू0 2,93,125/- की हुई राजस्व की क्षति के लिये शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 03-02-2015 व्दारा श्री सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी।" परन्तु अधिकरण व्दारा पारित निर्णय के अनुपालन में याची को निर्गत नये आरोप पत्र में यह कथन किया गया कि याची की कार्यावधि 41 दिनों में 2826 वाहनों से कुल राजस्व रू0 3102682-00 सरकार को प्राप्त नहीं हुआ। याची के विव्दान अधिवक्ता का यह कथन है कि पूर्व में याची कृत्य के फलस्वरूप रू0 2,93,125/- की हुई राजस्व की क्षति दर्शायी गयी थी परन्तु नये आरोप पत्र में राजस्व की क्षति रू0 3102682-00 किस आधार पर दर्शायी गयी, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। जाँच अधिकारी व्दारा याची को विभागीय नियमों, निर्देशों तथा आचरण नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप कार्य न करने एवं अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा तथा कर्तव्य परायणता से निर्वहन न करने के लिये दोषी माना है। परन्तु जाँच अधिकारी व्दारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि याची व्दारा किन विभागीय नियमों व निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जाँच अधिकारी व्दारा दी गयी जाँच आख्या अस्पष्ट जाँच आख्या है और अस्पष्ट जाँच आख्या के आधार पर पारित दण्डादेश भी स्थिर रहने योग्य नहीं है।

12- याची के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रश्नगत दण्डादेश को अपास्त करने हेतु यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि याची ने कारण बताओ नोटिस का विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था परन्तु दण्डाधिकारी व्दारा उसके किसी भी बिन्दु पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया तथा प्रश्नगत दण्डादेश पारित कर दिया गया जिसे सकारण व मुखरित आदेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अतः दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है।

13- हमारे व्दारा याची के विरूद्ध पारित प्रश्नगत दण्डादेश का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि दण्डाधिकारी ने अपने आदेश दिनाँकित 03-04-2024 में याची व्दारा स्पष्टीकरण में किये गये कथनों के सम्बन्ध में कोई विवेचन नहीं किया गया और मात्र

याची पर लगाये गये आरोप, याची द्वारा दिय गये उत्तर तथा जाँच अधिकारी द्वारा दी गयी जाँच आख्या के कथनों का उल्लेख करते हुए मात्र यह कथन किया गया है कि "उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत निर्देश याचिका सं0–1731/17 योगेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनाँक 27–03–2018 के अनुपालन में श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्का0 व्यापार कर अधिकारी, सहायता केन्द्र आमटांडा बहेड़ी, बरेली सम्प्रति असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर के विरूद्ध पुनः संस्थित विभागीय कार्यवाही में जाँच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या में आरोप पत्र में वर्णित साक्ष्य 3 व 4 सिद्ध पाये गये हैं तथा साक्ष्य 3 व 4 से स्पष्ट है कि श्री सिंह द्वारा विभागीय नियमों निर्देशों तथा आचरण नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप कार्य न करने एवं अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्ववहन न करने के लिये दोषी हैं।" उक्त दण्डादेश को किसी भी दृष्टि से सकारण व मुखरित आदेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी का यह कथन कि ***"जाँच आख्या में आरोप पत्र में वर्णित साक्ष्य 3 व 4 सिद्ध पाये गये हैं"*** से स्पष्ट होता है कि दण्डाधिकारी द्वारा आलोच्य दण्डादेश पारित करते समय अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से प्रश्नगत दण्डादेश विधि सम्मत न होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है।

14– मुखरित व सकारण आदेश के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय ने **राज कुमार मेहरोत्रा बनाम बिहार सरकार व अन्य 2006 सुप्रीम कोर्ट केसेज ;एल0एण्ड एस0, 679 में** निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है–ः

> ***"Without going into other issues raised, we are of the view that the impugned order of the respondent authority imposing punishment on the appellant cannot be sustained. Even if we assume that Rule 55-A which pertains to minor punishment was applicable and not Rule 55 which relates to major punishments, nevertheless Rule 55-A requires that the punishment prescribed therein cannot be passed unless the representation made pursuant to the show-cause notice, has been taken into consideration before the order is passed. There is nothing in the impugned order which shows that any of the several issues raised by the appellant in his answer to the show-cause notice were, in fact, considered. No reason has been given by the respondent authority for holding that the charges were proved except for the ipse dixit of the disciplinary authority. The order, therefore, cannot be sustained and must be and is set aside. "***

15– **कारण"** और **"निष्कर्ष"** के विभेद को स्पष्ट करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने **युनियन आफ इण्डिया बनाम मोहन लाल कपूर, (1973),2 एससीसी 836** में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः–

> ***"Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusions. They disclose how the mind is applied to the subject matter for a decision whether it is purely administrative or quasi-***

judicial. They should reveal a rational nexus between the facts considered and the conclusions reached."

16– इसी प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय ने **जी0 वल्ली कुमार बनाम आन्ध्रा एजूकेशन सोसाइटी 2010 ;2, एस0सी0सी, 947** में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है–ः

"that the requirement of recording reasons by every quasi judicial or even an administrative authority entrusted with the task of passing an order adversely affecting an individual and communication thereof to the affected person is one of the recognized facets of the rules of natural justice and violation thereof has the effect of vitiating the order passed by the authority concerned."

प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में अधिकरण द्वारा निर्देशा याचिका सं0 1731/2017 में पारित निर्णय दिनॉंकित 27–03–2018 के माध्यम से विपक्षीगण को नये सिरे से जॉंच सम्पादित करने हेतु स्वतंत्रता दी जा चुकी है एवं उक्त निर्णय के अनुपालन में विपक्षीगण द्वारा नये सिरे से जॉंच सम्पन्न कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुनः जॉंच करने हेतु विपक्षीगण को निर्देशित किया जाना हमारे विचार से न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हमारे विचार से याची के विरूद्ध पारित आलोच्य दण्डादेश दिनॉंकित 03–04–2024 विधि सम्मत न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा याची की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है, तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। आलोच्य दण्डादेश दिनॉंकित 03–04–2024 (संलग्नक सं0–1) अपास्त किया जाता है। याची वे समस्त पारिणामिक सेवा लाभ नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो इस आदेश द्वारा रोके गये हों।

उभय पक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/– ह0/–

(रविन्द्र नाथ त्रिपाठी) *(योगेश्वर राम मिश्र)*
सदस्य (न्या0) *सदस्य (प्रशा0)*

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित व उद्घोषित किया गया।

ह0/– **ह0/–**

(रविन्द्र नाथ त्रिपाठी) *(योगेश्वर राम मिश्र)*
सदस्य (न्या0) *सदस्य (प्रशा0)*

दिनॉकः 24 अप्रैल, 2025
एच0के0आर0/पी0एस0